न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं.06/2016

कविता धर्मपत्नी अशोक गोयल, जाति अग्रवाल, निवासी म.नं. 17/283, जाटियावास, मदारगेट, अजमेर। .....प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती मांगी बेवा हीरा
2. राधेश्याम पुत्र हीरा
3. ज्ञानचन्द पुत्र हीरा
   समस्त जाति भांबी, निवासीगण ग्राम गनाहेडा, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर, जिला अजमेर
5. भू–आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :–

1. श्री विकास पाराशर — अभिभाषक प्रार्थिया
2. श्री अजीत सिंह राठौड — अभिभाषक अप्रार्थीगण
3. श्री ओमप्रकाश गुर्जर — पेरोकार सरकार

–: आदेश :–

दिनांक–22.08.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम गनाहेडा, तहसील पुष्कर जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नम्बर 80, 81, 82, 83 जिसके पुराने चौसाला नम्बर 68 थे, का आवंटन अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता स्व0 श्री हीरा पुत्र नंगा जाति भांबी को किया गया था, उपरोक्त आवंटन के पश्चात् अप्रार्थी के पिता के नाम गैर खातेदारी का नामान्तकरण दर्ज किया गया था परन्तु भौतिक रूप से अप्रार्थीगण के पिता के पास आराजीयात का कब्जा काश्त नहीं था। जिसके आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 32/1985 में पारित निर्णय दिनांक 31.08.1989 में अप्रार्थीगण के पिता हीरा पुत्र नंगा के शपथ एवं बयानों के आधार पर न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के पिता के आवंटन को विधि विरूद्ध निर्धारित किया गया था और उपरोक्त आवंटन को निरस्त कर दिया था परन्तु आज दिवस तक उपरोक्त आवंटन के निरस्त होने की कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त आवंटन दिनांक 16.11.1975 को आधार बनाते हुऐ प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर अतिचार किये जाने कां प्रयास किया जा रहा है, जिससे उपरोक्त आवंटन दिनांक 16.11.1975 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किया गया। नोटिस बाद तामील प्राप्त। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित

जिला कलेक्टर
अजमेर

आये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 जरिये अधिवक्ता श्री अजीत सिंह राठौड़ दिनांक 10.05.2016 उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओ की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि ग्राम गनाहेडा, तहसील पुष्कर जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नम्बर 80, 81, 82, 83 जिसके पुराने चौसाला नम्बर 68 थे, का आवंटन अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता स्व0 श्री हीरा पुत्र नंगा जाति भांबी को किया गया था, उपरोक्त आवंटन के पश्चात् अप्रार्थी के पिता के नाम गैर खातेदारी का नामान्तकरण दर्ज किया गया था परन्तु भौतिक रूप से अप्रार्थीगण के पिता के पास आराजीयात का कब्जा काश्त नहीं था। जिसके आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 32/1985 में पारित निर्णय दिनांक 31.08.1989 में अप्रार्थीगण के पिता हीरा पुत्र नंगा के शपथ पत्र एवं बयानों के आधार पर न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के पिता के आवंटन को विधि विरूद्ध निर्धारित किया गया था और उपरोक्त आवंटन को निरस्त कर दिया था परन्तु आज दिवस तक उपरोक्त आवंटन के निरस्त होने की कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त आवंटन दिनांक 16.11.1975 को आधार बनाते हुऐ प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर अतिचार किये जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उपरोक्त आवंटन दिनांक 16.11.1975 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में दर्ज आराजीयात खसरा नम्बर पुराने 68 के वर्किंग खसरा नम्बर 80, 91, 82, 83, 80/2009 के आधारभूत खसरा नम्बर 56 जो कि खसरा नम्बर 82, 83 से बने है प्रार्थीया की खातेदारी की आराजीयात है, जो प्रार्थीया के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 1097 दिनांक 17.05.2008 जो कि आदेश श्रीमान् अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.05.2008 की पालना में दर्ज किया गया है, को अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार के तहसीलदार पुष्कर से गठजोड़कर दिनांक 01.02.2016 को स्वयं के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 538 से दर्ज करवा लिया जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.08.1989 में उपरोक्त नामान्तकरण को निरस्त कर दिया गया था। उपखण्ड अधिकारी अजमेर के द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री अप्रार्थीगण के पिता स्व0 श्री हीरा पुत्र नंगा ने वरवक्त बयान इस बात की ताईद की थी कि वर्तमान प्रार्थना पत्र में लिप्त आराजीयात पर कब्जा नहीं है और यह भी माना था कि आवंटन गलत हुआ है, जिससे यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थीगण के पिता का विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन निरस्त किया गया था। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किसी भी आवंटन को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर निरस्त करने की कलक्टर को शक्ति होगी, यदि आवंटन कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्ध हो या आवंटी ने आवंटन की शर्तो को भंग किया हो, के आधार पर निरस्त किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में भी यह नियम पूर्ण रूप से लागू होता है क्योंकि आवंटन हीरा पुत्र नंगा के द्वारा आवंटन दिनांक 16.11.1975 में आवंटित की गई आराजीयात पर अपना कब्जा नहीं माना और स्वयं ने आवंटन गलत होना बताया और कब्जा अन्य का होना बताया, जिससे यह सिद्ध है कि आवंटी ने कभी भी आवंटन नियमों की पालना नहीं की होगी जो कि नामान्तकरण संख्या 518 दिनांक 03.06.1993 नामान्तकरण संख्या 703 दिनांक 01.03.2006 नामान्तकरण संख्या

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

704 दिनांक 01.03.2006, नामान्तकरण संख्या 1096 दिनांक 17.05.2008, नामान्तरकरण संख्या 1097 दिनांक 17.05.2008 से सिद्ध है। प्रार्थना पत्र में लिप्त आराजीयात प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज है और आज वर्तमान में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया की खातेदारी की आराजीयात पर बिना विधिक अधिकार के भूमि स्वयं के नाम दर्ज करवाई गई है जिसे प्रार्थीया को अपूर्णनीय क्षति कारित हो रही है और अप्रार्थीगण जिनका कि कब्जा काश्त आज दिवस तक विवादित आराजीयात पर नहीं है, का आवंटन दिनांक 16.11.1975 निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 16.11.1975 में अप्रार्थीगण के पति एवं पिता स्वयं श्री हीरा पुत्र नंगा जाति भांबी को आराजी खसरा नम्बर पुराने 68 के वर्किंग खसरा नम्बर 80, 81, 82, 83 के आधारभूत खसरा नम्बर 56 की हद तक निरस्त किया जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करे।

राजकीय पैरोकार ने दौराने बहस में निवेदन किया कि पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड, दस्तावेज अनुसार व अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त भी नहीं होने से आवंटन निरस्त फरमावे।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभय पक्षों की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया एवं रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू–आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर के आदेश दिनांक 16.11.1975 कैम्प गनाहेडा में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता स्व0 श्री हीरा पुत्र नंगा जाति भांबी को ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर के वर्किंग खसरा नम्बर 80, 81, 82, 83 पुराना खसरा नम्बर 68 रकबा 4–12–10 आवंटन की गई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के राजस्व वाद संख्या 32/85 बउनवान श्री लादू व अन्य बनाम हीरा व सरकार में पारित निर्णय दिनांक 31.08.1989 अनुसार वादीगण को खसरा नम्बर 68 रकबा 4–12–10 का खातेदार घोषित किया गया है। नामान्तरकण संख्या 1097 दिनांक 17.05.2008 में अपीलांट का नाम राजस्व रेकॉर्ड में अंकित हैं। अप्रार्थीगण द्वारा अपने समर्थन में किसी प्रकार का जवाब दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी अजमेर के कैम्प गनाहेड़ा आदेश दिनांक 16.11.1975 में ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर के खसरा नम्बर 80, 81, 82, 83 पुराना खसरा नं. 68 रकबा 04–12–10 का अप्रार्थीगण के पिता श्री हीरा वल्द नंगा को किया गया आवंटन/नियमन निरस्त किया जाता हैं।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर